

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>22 ²/₂₃</p> <p>27 जुलै 2015</p> <p>27 जुलै 2015</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अपीलान्त लुम्बाराशम रेस्योडेंट लुम्बाराशम उप।। पक्षकाराने ने लोक अदालत की भावना से डेरित होकर आपसी राजीनामा इस आशय का पेश किया कि अपीलकर्ता व रेस्यो. के सह खातेदारी की भूमि खसरा खंख्या. 718/717 रकबा 35 बीघा मौजा कालाथल परवार क्षेत्र नवातला का बाई मिरस एड व्याडस वंटाडा सहमति से करवाने का आवेदन पत्र कार उप तहसीलदार पारोदी को पेश किया किन्तु वंटाडा आदेश पारित करते समय मौके पर कब्जा कारत र्हावस पानी के टांको, पशुओं के बाड़े आवागमन के बिन्दु को ध्यान में नहीं रखकर सहमति के विपरित अपीलाधीन वंटाडा का आदेश पारित किया, जिसे एक दुसरे के कब्जा कारत में देखल होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके निराकरण हेतु अपीलाधीन वंटाडा आदेश दिनांक 15/06/2015 को निरस्त कर माफिक कब्जा हेतु वंटाडा करने हेतु प्रकरण पुनः उप. तहसीलदार पारोदी को रिमाण्ड किया जावे राजीनामा की इच्छात को पक्षकारों को समझाई सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा की इच्छात को पक्षकारों को समझाई सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा जुदागाना तस्दीक कर क्षामिल मिसल किया गया।</p> <p>अन्वय पक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। -युक्ति प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि क्योंकि जिस भूमि का वंटाडा आदेश अपीलाधीन आदेश से किया गया वो नीजी खातेदारी की भूमि है समस्त पक्षकाराने ने उपस्थित होकर माफिक कब्जा कारत अनुसार पुनः वंटाडा का अनुतोष चाहा है बाद गैर अपीलान्त की ओर से परतुत धारा ०5 परिसीमा अधि. का धारणा पत्र स्वीकार</p>	<p>27 जुलै 2015</p> <p>तजाम Identified by me H. S. S.</p>

H. S. S. जिला कलेक्टर
बलोलस

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

कर अपील अपीलॉर अन्दर मथाद शुमार
कर अपील का निस्तारण माफिक शुणाशुकी
कर किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन
अनुसार अपीलॉर की अपील माफिक आपसी
राजीनामा स्वीकार कर उप तहसीलदार
पाटौदी द्वारा पारित आदेश क्रमांक/शु.अ/1
2015/159 दिनांक 15/06/2015 निरस्त कर
प्रकरण पुनः प्रतिषेधित किया जाता है कि
माफिक कब्जा काश्त रिहावसीय टाणियां
आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रखकर
पुनः सहमति से बंटवाडा का नये सिरे से
आदेश करें। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार
पाटौदी को प्रेषित करें।

निर्णय आज तारीख 22/2/23 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बलौतर